झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ।

2. अधिनियम की धारा 47 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापना अधिनियम की विद्यमान धारा 47 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के स्थान में एक नई धारा का प्रतिस्थापन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के स्थान में एक नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. अधिनियम की धारा 53 में संशोधन ।

6. अधिनियम की धारा 54 में संशोधन ।

7. अधिनियम की विद्यमान धारा 55 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन ।

8. अधिनियम की धारा 56 में संशोधन ।

9. अधिनियम की विद्यमान धारा 57 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन ।

10. अधिनियम की धारा 68 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन।

11. अधिनियम की धारा 89 में संशोधन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (द) के उपरान्त खण्ड (व) निम्न प्रकार से अंतःस्थापित किया जाएगा।

12. अधिनियम की धारा 90 में संशोधन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 90 की उपधारा (7) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1306 दिनांक–14.11.2002 द्वारा अंगीकृत बिहार एवं उड़ीसा उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड अधिनियम II, 1915) को झारखण्ड राज्य में लागू एवं प्रवर्त्तन करने के लिए संशोधन हेतु विधेयक ।

प्रस्तावना ।– राजस्व संवर्द्धन के उद्धेश्य से, सुषव के बढ़ते दुर्व्यापार एवं मदिरा के अवैध आसवन की रोकथाम के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए भयोपरत दण्डों को उपबन्ध करना आवश्यक है । साथ ही पेसा एक्ट, 1996 की धारा–4 (m) के अनुरूप उत्पाद अधिनियम में प्रावधान करना भी समीचीन हो गया है । अतः उक्त के आलोक में विद्यमान एवं अंगीकृत वर्त्तमान झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखण्ड अधिनियम II, 1915) के कतिपय प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है । कतिपय प्रावधानों में संशोधन हेतु विधेयक ;

1– **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ ।–**

(1) यह विधेयक झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2– **अधिनियम की धारा 47 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापना : अधिनियम की विद्यमान धारा 47 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –**

"47– विधि विरूद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, उपभोग, विक्रय इत्यादि के लिए दण्ड –: यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम या निकाली गई किसी अधिसूचना या दिये गए किंसी आदेश अथवा इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, परमिट या पारक के उल्लंघन में –

(क) किसी मादक द्रव्य का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, उपभोग या विक्रय करें ; अथवा

(ख) विक्रय के प्रयोजनार्थ किसी मदिरा को बोतलबंद करे ; अथवा

(ग) कोई आसवनी, विनिर्माणशाला, यवासवनी (ब्रूअरी) या भाण्डागार स्थापित करे या चलाये ; अथवा

(घ) निजी उपभोग हेतु पंचवई एवं ताड़ी से भिन्न किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के लिए कोई सामग्री, ममकार (स्टिल), बर्तन, उपकरण या साधित्र का प्रयोग करे, रखे या कब्जे में रखे ; अथवा

(ङ) राज्य के भीतर किसी जिले अथवा अन्य किसी राज्य के सरकारी लोगो युक्त या लोगो रहित फिल्म, रैपर अथवा अन्य कोई सामग्री जिसमें मादक द्रव्य पैक किया जा सके या मादक द्रव्य को पैक करने के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई साधित्र, उपकरण या मशीन अपने कब्जे में रखें ; अथवा

(च) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त, स्थापित, प्राधिकृत या चालू किसी आसवनी, यवासवनी या भाण्डागार या भण्डारण के किसी अन्य स्थान से कोई मादक द्रव्य हटाये ;

तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, जिसका विस्तार पाँच वर्षों तक हो सकेगा और इतने जुर्माने से जिसकी रकम पाँच हजार रूपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसका विस्तार एक लाख रूपये तक हो सकेगा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना न देने की दशा में ऐसे अतिरिक्त कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा ;

3– अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 49 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"49 – किसी विकृत आसव को परिवर्त्तित या तदर्थक प्रयास के लिए दण्ड ।– जो कोई भी किसी विकृत आसव को किसी भी तरीके से इस अभिप्राय से परिवर्त्तित करे या परिवर्त्तित करने का प्रयास करे कि वह आसव किसी भी तरीके से मानव उपभोग में आये, चाहे वह पेय रूप में हो या खाने की औषधि के रूप में या अन्य किसी भी तरीके से अथवा उसके कब्जे में ऐसा आसव हो जिसके बारे में वह जानता है, अथवा उसे विश्वास करने का कारण है कि इस प्रकार का कोई परिवर्त्तन अथवा परिवर्त्तन करने का प्रयास किया गया है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक हो सकेगी और इतने जुर्माने से जिसकी रकम एक लाख से कम नहीं होगी किन्तु पाँच लाख रूपये तक हो सकेगा से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना न देने की दशा में, ऐसे अतिरिक्त कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा ।"

4– **अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के स्थान में एक नई धारा का प्रतिस्थापन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के स्थान में एक नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –**

''52. मदिरा के अपमिश्रण के लिए दण्ड ।– जो कोई अपने द्वारा विक्रय की गई, विनिर्मित या कब्जे में रखी गई किसी मदिरा में कोई हानिकारक औषधि या कोई विजातीय घटक या अधिनियम की धारा 90 के खण्ड (9) के उपखण्ड (i) के द्वारा प्रतिषिद्ध कोई सामग्री मिश्रित करे या मिश्रित करने दे जिससे, मानव को अपंगता, गम्भीर उपहति या मृत्यु कारित होना सम्भाव्य हो तो वह –

(क) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो, तो वह दस वर्ष तक के कारावास और इतने जुर्माने से जिसकी रकम दस लाख रूपये तक हो सकेगी दण्डित किया जा सकेगा;

(ख) यदि ऐसे कृत्ये के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को गम्भीर उपहति कारित हो, तो वह दस वर्ष तक के कारावास और इतने जुर्माने से जिसकी रकम पाँच लाख रूपये तक हो सकेगी दण्डित किया जा सकेगा ;

(ग) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को परिणामिक क्षति कारित हो, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी एवं इतने जुर्माने से जिसकी रकम 2.50 लाख रूपये तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा ;

(घ) यदि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई क्षति कारित न हो तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी और इतने जुर्माने से जिसकी रकम एक लाख रूपये तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा ;

व्याख्या : इस धारा के प्रयोजनार्थ ''गम्भीर उपहति'' शब्द का तात्पर्य वही होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में है ।

5– **अधिनियम की धारा 53 में संशोधन ।–** अधिनियम की धारा 53 में शब्द समूह ''तीन माह'' और ''पाँच सौ रूपये'' के स्थान में क्रमशः शब्द समूह ''एक वर्ष'' और ''एक लाख रूपये'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

6– **अधिनियम की धारा 54 में संशोधन ।–** अधिनियम की धारा 54 में शब्द समूह ''पाँच सौ रूपये'' के स्थान में शब्द समूह ''पच्चीस हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

7– **अधिनियम की विद्यमान धारा 55 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन ।–** अधिनियम की विद्यमान धारा 55 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

"55. ऐसी मदिरा कब्जा में रखने के लिए दण्ड जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो ।– जो कोई भी विधिसंगत प्राधिकार के बिना, अपने कब्जे में ऐसी कोई मदिरा यह जानते हुए, या ऐसा विश्वास करने का कारण रहते हुए रखे कि उसका आयात, निर्यात, परिवहन या विनिर्माण विधि विरूद्ध तरीके से हुआ है या यह जानते हुए या ऐसा विश्वास करने का कारण रहते हुए कि उसपर विहित कर नहीं दिया गया है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः माह से कम न होगी किन्तु जो तीन वर्षों तक हो सकेगी और एसे जुर्माने से जिसकी रकम पचास हजार रूपये से कम नहीं होगी लेकिन जो एक लाख रूपये तक हो सकेगी अथवा मदिरा के मूल्य की दस गुणा रकम, जो अधिक हो, हो सकेगी ।

8– **अधिनियम की धारा 56 में संशोधन** ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 56 की उपधारा (1) में "एक हजार रूपये" शब्द समूह के स्थान में "पाँच हजार रूपये" शब्द समूह और अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में "दो सौ रूपये" शब्द समूहों के स्थान में "एक हजार रूपये" शब्द समूह प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

9– **अधिनियम की विद्यमान धारा 57 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन** ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 57 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –

" 57. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवक के कतिपय कृत्यों के लिए दण्ड ।– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, पारक या पास का कोई धारक, उसका कोई सेवक जो उसकी ओर से काम करता हो –

(क) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा शक्ति प्रदत्त किसी पदाधिकारी द्वारा माँग किये जाने पर इस प्रकार की अनुज्ञप्ति, पारक या पास न प्रस्तुत कर सके ; या

(ख) धारा 89 या 90 के अधीन बनाये गए किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करें ; अथवा

(ग) अनुज्ञप्ति, पारक या पास की किसी भी शर्त्त के भंग में, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड विहित नहीं है, जानबूझकर कोई काम करे या काम करने में चूक करें; तो वह (क) की दशा में दस हजार रूपये तक और (ख) या (ग) की दशा में, जहाँ उत्पाद राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त हो, प्रथम बार के लिये, ऐसे जुर्माने का दायी होगा, जो उत्पाद राजस्व की हानि की दुगुणी रकम से कम न हो या पाँच लाख रूपये जो अधिक हो, तथा द्वितीय पुनरावृत्ति के लिये ऐसे जुर्माने का दायी होगा जो उत्पाद राजस्व हानि का चार गुणा से कम न हो या दस लाख रूपये जो अधिक हो और जहाँ उत्पाद राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त न हो, ऐसे जुर्माने का दायी होगा जिसकी रकम दस हजार रूपये से कम किन्तु एक लाख रूपये से अधिक न हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जायेगा जबतक कि अनुज्ञप्ति, परमिट या पारक के धारक को –

(क) लिखित सूचना के द्वारा उसे इस धारा के अधीन आगे की कार्रवाई का आधार न बता दिया जाय ;

(ख) ऐसे आधार के विरूद्ध ऐसे समय के भीतर, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो, युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ;

(ग) ऐसे मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान न किया गया हो ।

10– **अधिनियम की धारा 68 के स्थान में नई धारा का प्रतिस्थापन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 68 के स्थान में निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा –**

"68. अपराधों का प्रशमन करने और अधिहरण योग्य सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति।– (1) आयुक्त, समाहर्त्ता या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए शक्ति प्रदत्त उत्पाद पदाधिकारी जो उत्पाद अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो –

(क) धारा 89 के खण्ड (ञ) के अधीन बने किन्हीं नियमों द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुये किसी व्यक्ति से, जिसकी अनुज्ञप्ति, पारक या पास धारा 42 के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन विखण्डित या निलम्बित किये जाने योग्य हो, या जिसपर इस अधिनियम की धारा 49 और 61 से भिन्न किसी अन्य धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के करने का युक्तियुक्त रूप से संदेह किया जाता हो, यथास्थिति विखण्डित या निलंबित करने के बदले या ऐसे अपराध के प्रशमन स्वरूप, यथा विहित न्यूनतम रकम के अध्यधीन, कम गम्भीर अनियमितताओं के लिये 10 (दस) हजार रूपये तक एवं वैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये जिससे राजस्व की क्षति पहुँची हो, प्रथम बार में वास्तविक राजस्व क्षति का दो गुणा या पाँच लाख रूपये जो अधिक हो एवं द्वितीय बार उल्लंघन में वास्तविक राजस्व क्षति का चार गुणा एवं दस लाख रूपये जो अधिक हो, स्वीकार कर सकेगा । अधिनियम् या नियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में तीसरे बार उल्लंघन या अपराध के लिये जिससे राजस्व की क्षति हुई हो अनुज्ञप्ति, पारक एवं पास विखण्डित कर दी जाएगी ।

(ख) किसी भी मामले में, जिसमें कोई सम्पत्ति धारा 66 के अधीन अधिहरण योग्य समझी जाकर अभिगृहीत की गई हो, दण्डाधिकारी द्वारा धारा–67 (1) के तहत आदेश पारित किये जाने के पूर्व तक उतनी रकम के भुगतान पर जो समाहर्त्ता या वैसे उत्पाद पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलित मूल्य से अधिक न हो, उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा,

परन्तु यह भी कि जहाँ इस प्रकार अभिग्रहीत की गई सम्पत्ति, इस अधिनियम के उल्लंघन में आयातित, निर्यातित, परवहित या विनिर्मित की गई मदिरा हो, तो वैसी मदिरा निर्मुक्त नहीं की जायेगी परन्तु इसका निषादन उस तरीके से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाय ।

(2) जब उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित राशियों का शोधन किया जा चुका हो तो अभियुक्त व्यक्ति यदि वह हिरासत में हो तो रिहा कर दिया जायेगा, और मदिरा को छोड़कर अभिग्रहित की गई सम्पत्ति (यदि कोई हो) निर्मुक्त कर दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।''

11– **अधिनियम की धारा 89 में संशोधन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (n) के उपरान्त खण्ड (o) निम्न प्रकार से अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा –**

"अनुसूचित क्षेत्र के समुचित स्तर के ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को अपने क्षेत्रान्तर्गत, मादक द्रव्यों के विनिर्माण एवं बिक्री से संबंधित अनन्य विशेषाधिकार, आसवनी एवं ब्रिवरी के अनुज्ञप्तियों को विनियमित एवं प्रतिबंधित करने तथा खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों द्वारा अवैध मदिरा की बिक्री को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करना" ।

12– **अधिनियम की धारा 90 में संशोधन ।– अधिनियम की विद्यमान धारा 90 की उपधारा (7) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा –**

"या, अन्य कोई शुल्क, जो राजस्व हित एवं अनुज्ञप्त इकाईयों के विनियमन में आवश्यक हो अधिरोपित कर सकेगा" ।

***

यह विधेयक झारखण्ड उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 28 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 28 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 38--50--7-9-2015 ।